संख्या–4697/V/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003

प्रेषक,

डॉ0एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।
(2) उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
देहरादून/हरिद्वार।

शहरी विकास/आवास अनुभाग   देहरादून : : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2004

विषयः राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1136/श0वि0–03–80(सा0) 03–24 जुलाई, 2003 के द्वारा प्राधिकरणों के लिए निर्धारित भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 को संशोधित कर शुल्कों का पुनर्निर्धारण किये जाने के उद्देश्य से संशोधित परिशिष्ट संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से यह शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों में लागू होंगे।

2. शासनादेश संख्या–1136/श0वि0–आ0–2003–80(सा0)/03, दिनांकः 24 जुलाई 2003 के प्रस्तर–6 में की गयी यह व्यवस्था कि, "विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों" के लिए शुल्कों के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें उनमें तब तक वर्तमान व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी, के द्वारा की गयी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

3. इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के द्वारा निर्धारित विकास एवं मानचित्र शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों/समस्त विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में समान रूप से लागू होंगे।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोपरि।

ह0 अपठनीय
(डॉ0एस0एस0 सन्धू)
सचिव

संख्या–4697/V/श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) मण्डलायुक्त, गढवाल, पौडी/कुमाँयु, नैनीताल।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

(3) प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल देहरादून।

(4) गार्ड फाईल।

ह0 अपठनीय,
(भास्करानन्द)
अपर सचिव

पत्र संख्या–4697/श0वि0–आ0–2004–80(सा0)/2003, दिनांक: 19 अक्टूबर, 2004 का संकग्न:

विषय:– राज्य के विकास प्राधिकरण में भवन मानचित्र से सम्बन्धित विभिन्न विकास शुल्कों के निर्धारण की व्यवस्था निम्न प्रकार सुनिश्चित की गई है।

परिशिष्ट

क्रमांक	शुल्क का नाम	उपयोग	निर्धारित दर
			विकास प्राधिकरण
1	2	3	4
1.		आवासीय उपयोग	
(1.1)		(क) आवासीय भवन	भू–खण्ड क्षेत्रफल 100 वर्ग मी0 तक रू0.100.00, 101 से 200 वर्ग मी0 मक रू0.200.22, 201 से 300 वर्ग मी0 तक रू0.300.00 तथा उसके पश्चात् रू0. 2.00/ वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।
		(ख) आवासीय तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू0.5000.00
		(ग) ग्रुप हाउसिंग मानचित्र	रू0.3000.00
(1.2)		व्यावसायिक उपयोग	75 वर्ग मीटर तक के भू–खण्ड पर रू0.500 तथा 75 वर्ग मी0 से अधिक रू0.5000.00
(1.3)		व्यावसायिक तलपट मानचित्र शुल्क	रू0. 5000.00
(1.4)		धार्मिक तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के उपयोग	रू0. 3000.00
(1.5)		कार्यालय/संस्थागत /आई0टी सामुदायिक उपयोग	रू0.3000.00
(1.6)		औद्योगिक उपयोग	रू0.3000.00
(1.7)		औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	रू0.5000.00

(1.8)		यातायात एवं परिवहन उपयोग	रू0.500.00
(1.9)		मनोरंजन/पर्यटन उपयोग	रू0.3000.00
2.	सुधार एवं विकास शुल्क	आवासीय भवन	निम्नानुसार भवन के समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्रफल पर देय होगा– क–महायोजना में परिभाषित आवासीय धनत्व के आधार पर न्यून धनत्व रू0. 75.00/वर्ग मीटर मध्य धनत्व रू0. 55.00/वर्ग मीटर उच्च धनत्व रू0. 35.00/वर्ग मीटर ख– मसूरी विकास क्षेत्र में महायोजना तैयार होने तक रू0.75.00 प्रति वर्ग मी0, क्षेत्र स्थित अन्य नगरीय क्षेत्रों में इसके आधे के बराबर ग– ग्रामीण क्षेत्र, यदि पृथक से धनत्व परिभाषित नहीं, नियमानुसार आवास निर्माण की अनुमन्यता पर रू0.35.00 प्रति वर्गमीटर
		ग्रुप हाउसिंग	रू0. 75.00 प्रति वर्ग मी0
		व्यावसायिक भवन	रू0 200.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		औद्योगिक भवन	रू0. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		शैक्षिक/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा/उपयोग के भवन	रू0. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		कार्यालय/संस्थागत/धर्मार्थ/सांस्कृतिक भवन अन्य सामुदायिक उपयोग के भवन	रू0. 100.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		वेडिंग प्वाइन्ट/बेन्क्वेट हाल	रू0. 200.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के भवन	रू0. 75.00/वर्ग मीटर की दर से भू–खण्ड क्षेत्रफल पर देय होगा।
		मनोरंजन व पर्यटन भवन	रू0. 75.00/वर्ग मीटर समस्त तलों के आच्छदित क्षेत्रफल पर
		पेट्रोल पम्प सम्बन्धी भवन	रू0. 300.00/वर्ग मीटर समस्त तलों के आच्छदित क्षेत्रफल पर

3.	भू–उपयोग प्रमाण पत्र, पत्रावली , पुर्नस्थापना एवं प्रतिलिपि शुल्क	कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप, भवन मुर्गी फार्म, सुअर पालन , मत्सय पालन , पार्क आदि व सम्बन्धी भवन।	रू0. 200.00 / वर्ग मीटर
4.	पत्रावली पुर्नस्थापना शुल्क		न्युनतम रू0. 150.00 अथवा प्रति खसरा रू0. 15.00 की दर से जो भी अधिक हो।
5.	प्रतिलिपि शुल्क		अ–आवासीय– मानचित्र शुल्क का 50% ब–व्यावसायिक–मानचित्र शुल्क का 75% स–औद्योगिक–मानचित्र शुल्क का 50% द–अन्य मानचित्र शुल्क का 30% प्राधिकरण अभिलेखा से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिलिपि शुल्क के रूप में रू0.100.00 प्रति प्रतिलिपि की दर पर शुल्क देय होगा ।